शासन द्वारा मछुवारों के हितार्थ कियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाएँ –

अ. राज्य आयोजना

क.	विभाग	योजना का नाम	योजना प्रारंभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
1	मछली पालन विभाग	जलाषयों एवं नंदियों में मत्स्योंद्योग विकास	–	मत्स्य पालकों के जलाषयों में 50 % शासकीय व्यय पर मत्स्य अंगुलिकाऐं संचयन करना । इसी तरह मत्स्य उत्पादन को बढावा देने चयनित नदियों में अंगुलिकाओं का संचयन करना ।	हितग्राही 7–10 वर्षीय जलाषय का पट्टाधारक हो	
2.		शिक्षण प्रषिक्षण				
2.1		विभागीय प्रषिक्षण	–	सभी वर्ग के मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीकि के तहत मछली पकड़ने , जाल बुनने,सुधारने,10 दिवसीय सैंद्धांतिक प्रषिक्षण दिया जाता है, प्रति प्रषिक्षनार्थी 1250/ रू.व्यय निर्धारित किया गया है	हितग्राही के पास तालाब/जलाषय आबंटन होना आवष्यक है।	
2.2		राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	–	सभी वर्ग के मत्स्य पालकों को उन्नत मछली पालन का प्रत्येक्ष अनुभव कराने हेतु राज्य के बाहर10 दिवसीय प्रषिक्षण भ्रमण पर ले जाया जाता है ,प्रति मछवारा रूपये 2500/ व्यय प्रावधान है।	उन्नत तरीके से मछली पालन करने वाले निजी / पट्टे धारक हितग्राहीयों को	
3.		मत्स्य पालन प्रसार				
3.1		आलंकारीक/झींगा पालन	–	योजना के तहत हितग्राहियों को के अलंकारिक मत्स्य पालन हेतु रूपये 12000/ 3 वर्षो में तथा झींगा पालन हेतु रूपये 15000 / आर्थिक सहायता दिया जाता है	अ.जा./अ.ज.जा. पट्टा धारक हितग्राहियों को	

3.2		नाव /जाल क्रय	–	अ.ज.जा हितग्राहियों को तालाबों /जलाषयों में मत्स्या खेट करने हेतु नाव/जाल क्रय करने हेतु रू.10000 / आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।	अ.ज.जा वर्ग के 1 –5 हे. के तालाब पट्टा धारक हितग्राही को	
3.3		मत्स्य बीज संवर्धन	–	मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु रू. 30000 / के आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।	0.5 हे. के मौसमी तालाब वाले अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के पट्टा धारक को	
3.4		फिंगरलिंग संचयन	–	मत्स्य पालकों को उन्नत प्रजाति के मत्स्य बीज उपलब्ध कराने हेतु रू. 6100 /की आर्थिक सहायता 3 वर्षो में दिये जाने का प्रावधान है	अ.ज.जा./अ.जा. वर्ग के 1–5 हे. तालाब वाले पट्टा धारक को	
3.5		फुटकर मत्स्य विक्रय	–	ग्रामीणों को मछली ताजी एवं सुपाच्य पोष्टिक आहार के रूप में उपलब्ध कराने हेतु सभी वर्ग के हितग्राहियों को फुटकर मछली विक्रय के तहत आईस बाक्स क्रय पर रू. 6000 / आर्थिक सहायता दिया जाता है।	मछली विक्रय करने वाले सभी वर्ग के हितग्राहियों को	
3.6		मछुआ संहकारिता	–	मछुआ संहकारी समितियों को तालाब पट्टा, मछली बीज, नाव जाल, आदि के लिये 3 वर्षो में अधिकतम रू. 25000 / आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है	सभी वर्ग की प्रंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां	
3.7		श्रीमति बिलासा बाई केंवटीन पुरस्कार	–	राज्य स्तर पर मछली पालन क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति /संस्था / समूह को रू. 100000 / का श्रीमती बिलासा बाई केंवटीन मत्स्य पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है	सभी वर्ग के व्यक्ति /संस्था/समूह को	
				राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		
1.		सर्कुलर हेचरी की स्थापना	–	योजना के तहत सर्कुलर हेचरी के निर्माण पर रू. 6000000/ व्यय का प्रावधान है	सभी वर्ग के हितग्राहियों को	
2.		मत्स्य बीज संवर्धन	–	मौसमी तालाब में स्पांन संवर्धन हेतु रू. 40000 / की आर्थिक सहायता का प्रावर्धन है। (षासकीय रू. 30000 /+ हितग्राही अंषदान रू.10000/)	सभी वर्ग के हितग्राही जिनके पास मौसमी तालाब हो	
3.		संतुलित /परिपूरक आहार	–	मत्स्य पालक को रू. 10000 /के परिपूरक आहार हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है	सभी वर्ग के पट्टा धारक हितग्राहियों को	
4.		अंगुलिका संचयन	–	मत्स्य पालक को अंगुलिका संचयन हेतु रू. 4000/ आर्थिक सहायता का प्रावधान है(षासकीय रू. 3000 /+ हितग्राही अंषदान रू.1000 /)	सभी वर्ग के पट्टा धारक हितग्राहियों को	
5.		प्रदर्शन इकाई	–	प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रू.148000 /आर्थिक सहायता का प्रावधान है (षासकीय रू. 111000/+ हितग्राही अंषदान रू.37000	1 से 2 हे. तक के सभी वर्ग के पट्टा धारक	

				/)		
6.		जलाशयों में अंगुलिका संचयन	–	50 : 50 ष्पासकीय : हितग्राही अंषदान	सभी वर्ग के जलाषय पट्टा धारक	
7		सहकारी समिति को नाव जाल सहायता	–	सहकारी समितियों को नाव जाल हेतु रू. 100000 / के आर्थिक सहायता देने का प्रावधान	सभी वर्ग के पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को	
8.		नाव / जाल सहायता	–	5.00 हे. उपर जलक्षेत्र वाले पट्टा धारक (समूह) को रू. 25000 / की आर्थिक सहायता नाव जाल हेतु दिये जाने का प्रावधान है।	5.00 हे. जलक्षेत्र वाले पट्टा धारक समूह	
9.		राज्य एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	–	आधुनिक तकनीक के प्रत्येक्ष अवलोकन हेतु रू.3600 / प्रति हितग्राही व्यय करने का प्रावधान है	निजी /पट्टाधारक सभी वर्ग के हितग्राहियों को	
10		फुटकर मछली विक्रय	–	ताजी मछली पौष्टिक एवं सुपाच्य आहार के रूप में ग्रामीणों को उपलब्ध कराने फुटकर मछली विक्रय के तहत आईस बाक्स क्रय हेतु रू. 6000 / की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।	सभी वर्ग के पट्टाधारक हितग्राहियों को	

ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना :–

.क.	विभाग	योजना का नाम	योजना प्रारंभ वर्ष	योजना का संक्षिप्त विवरण	योजना अंतर्गत पात्रता	रिमार्क
1	मछली पालन विभाग	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम	–			
1.1		स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	–	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण हेतु रू. 300000 /प्रति हे. लागत पर अ.जा./अ.ज.जा. के कृषकों को 25 % या 75000 /तथा समान्य वर्ग के कृषकों को 20 % या 60000 / की अधिकतम सीमा तक सहायता दी जाती है	सभी वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए	

1.2		तालाबों का पूर्नरूद्वार	–	रू.75000/प्रति हे. की लागत पर अ.जा./अ.ज.जा. के कृषकों को 25 प्रतिषत यह रू. 18750/तथा समान्य वर्ग के कृषकों को 20 प्रतिषत या रू.15000/ की अधिकतम सीमा तक सहायता दी जाती है।	सभी वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए	
2.		मत्स्य जीवों का दुर्घटना बीमा	–	योजना के तहत सभी वर्ग के मछुवारों का दुर्घटना बीमा कराया जाता है ,बीमित मछुवारों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थाई अपंगता पर रू. 100000/ तथा मृत्यु होने पर रू. 200000 / का बीमा लाभ प्राप्त होता है।	मत्स्य पालन कार्य में संलग्न सभी वर्ग के मछुवारों को जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष हो	
3.		राष्ट्रीय मछुवारा का कार्यक्रम	–			
3.1		मछुवारा आवास योजना	–	जलाषयों में मत्स्याखेट करने वाले मछुवारों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देष्य से जलाषय के समीप रू. 50000/ प्रति आवास हेतु सहायता दी जाती है।	जलाशय के समीप रहने वाले मछुवारों	
3.2		अल्प अवधि बचत सह राहत योजना	–	जलाषयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना क्रियान्वित की गई है। योजना के तहत मछुवारों द्वारा 9 माह में अंषदान से 600 / तथा शासन द्वारा अंषदान 1200 / कुल रूपये 1800 / हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किये जाते है। जिन्हे हितग्राही को बंद ऋतु के 3 माह में 600/ आर्थिक सहायता के रूप मे हितग्राहियों को प्रदाय किये जाते है।	जलाशय पट्टाधारकों को	

सहायक संचालक मछली पालन
जिला – गरियाबंद(छ.ग.)